—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 27/2025

उनवान

1. सुमित्रा पत्नी गोविन्द
2. गीता पत्नी मंगलचन्द
3. बदामी पत्नी हरचन्द समस्त जाति जाट निवासी ग्राम धोलादांता देराठू (मंगरी) नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत भटियानी, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——अप्रार्थीगण :— 1 अनुपस्थित, 2 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

—

—: आदेश :— दिनांक :— 29/8/25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धोलादांता देराठू में स्थित आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वंर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
654	0.61	601	0.61
653	0.14	597	0.14
636 मिन	0.03	598	0.07
653	0.04		

उक्त आराजी वंर्किंग खसरा नम्बर 654 रकबा 3—15—10 के हाल खसरा नम्बर 601 रकबा 0.61 प्रार्थीगण की खातेदारी [illegible] उक्त आराजी [illegible] स्थित वंर्किंग खसरा नम्बर 653 रकबा 1—10—0 हाल खसरा नम्बर 597 रक[illegible]14 [illegible]दी संख्या 1 के नाम चरागाह है। आराजी मुतनाजा का पूर्व [illegible] [illegible] हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 597 को प्रार्थीगण के खेत खसरा [illegible]601 में गलत रूप से

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:34:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

दर्शा दिया। जिस कारण आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र गलत अंकित हो गया है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी का राजस्व मानचित्र सही अंकित किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे व बाद में आराजी मुतनाजा का मानचित्र दुरूस्त करने हेतु अनापत्ति पेश की। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम धोला दांता`राठू के हाल खसरा नम्बर 601 प्रार्थीगण की खातेदारी है। खसरा नम्बर 597 व 598 चरागाह इर्ज है। उक्त आराजी का वंर्किग राजस्व मानचित्रमौके अनुसार सही अंकित है। हाल राजस्व मानचित्र में प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 601 में खसरा नम्बर 597 को अंकित कर दिया है जबकि वंर्किग राजस्व मानचित्र में प्रार्थीगण के वंर्किग खसरा नम्बर 654 के बाद चरागाह नम्बर 653 सही अंकित था। खसरा नम्बर 597 का रकबा अधिक हो गया हे तथा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 601 का रकबा वंर्किग मानचित्र के अनुसार दर्ज नही की कम कर दिया है। हाल व पूर्व मानचित्र के अवलोकन से भी उक्त कथन की ताईद होती है। बंदोबसत विभाग को हाल खसरा नम्बर पर त्रुटिपूर्ण इन्द्राज करने का कोई अधिकार नही है। मानचित्र दुरूसत करने से चरागाह खसरा नमबर का रकबा जमाबंदी में कम नही होगा। उक्तानुसार आराजी मुतनजा का हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को कोई खण्डन नही है। प्रार्थीगण राजस्व मानचित्र दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र''**स्वीकार**'' किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम धोला दांता देराठू के हाल खसरा नम्बर 601 रकबा 0.61 व 597 रकबा 0.14 व 598 रकबा 0.07 के हाल व वंर्किग मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:34:25 IST
Reason: SelfAttested